

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

पत्रांक: ३००अनु०(ले०प०)/विविध पत्रा० (Vol. II)/2022-23/30/ ६६

दिनांक: २९.०७.२०२२

कार्यालय आदेश

आदेशानुसार, सूचित किया जाता है कि कार्यालय के सामने पुत के नीचे बने कार पार्किंग एवं बाईंक पार्किंग स्थल में ही वाहनों को जिन्हें Pass issued है, उन्हें पार्क करने दिया जाय। उक्त पार्किंग स्थल भर जाने के उपरांत ही कार्यालय परिसर के पार्किंग स्थल में वाहनों को पार्क करने की अनुमति दी जाएगी।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि कार्यालय के सामने वाले पार्किंग स्थल खाली रहने के उपरांत भी कुछ कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कार्यालय परिसर के पार्किंग में वाहन पार्क करने हेतु चौकीदार से बहस करते हैं जो कि उचित नहीं है तथा पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश का उलंघन है। भविष्य में इस तरह की घटना सामने आने के उपरांत संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध आदेशक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

हस्ता./-
उप-महालेखाकार/प्रशासन

प्रतिनिधि स्वयमान एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

१. राज्यवालय प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना
२. राज्यवालय, महालेखाकार (ले०प०) बिहार, पटना
३. राज्यवालय उप महालेखाकार (प्रशा०)
४. राज्यवालय, उप निदेशक/CRA
५. राज्यवालय, सभी समूह अधिकारी गण
६. सभी नियन्त्री अधिकारी गण
७. उप लेखा अधिकारी/सामान्य अनुभाग, कार्यालय प्र०ग०ल० (ले० एवं ह०) बिहार, पटना से अनुरोध है कि वे अपने खाते से उक्त कार्यालय आदेश का पारेवालन करवाने का कष्ट किया जाय।
८. व०ले०प०अ०/ए० ए०० एस० अनुभाग से अनुरोध है कि उक्त कार्यालय आदेश का प्रकाशन कार्यालय वेबसाइट पर किया जाय।
९. सूचना पट्टा
१०. कार्यालय सुरक्षा में तैनात होगा गार्ड प्रमाणी
११. कार्यालय परिसर में अवस्थित बैंक(UCO Bank), पोस्ट ऑफिस एवं CPWD कार्यालय
१२. कंपरेकर (लेखापरीक्षा/लेखा) एवं उक्तदारी
१३. नि. Audit Officer Association, Assistant Audit Officer Association एवं Civil Audit Employees Association से अनुरोध है कि उक्त दिशा निरेश के अनुपालन के संबंध में प्रशासन को सहयोग तथा सुविधाजनक एवं गुव्यवास्थात पार्किंग हटु याद कार्रवाई सुझाव ही तो देने का कृष्ट करें।

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य अनुभाग

२९/०७/२०२२